

फर्द अहकाम

राजसय - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

नं० ३ सन् २०१९ किस्म मुकदमा वाद

श्रीमती सुखवी कर्मा बनाम श्रीमती लाल कौर ए

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
<p>२५/२/२०२१ पत्रावली पेश हुई कि न्यायालय समय में बार-बार पत्रावली लगायी गई परंतु वादीगण व उनके अधिवक्ता कोई उपाधित नहीं हुए। अतः प्रमाण अदम्य है। पत्रावली दाजरी से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुनाने के लिए मजबूत से भन हो। निर्णय सुनने न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द</p>

